सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (**Government of India : Ministry of Home Affairs**)

हैदराबाद रू **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : Notified Recruitment Rules for the post of ASI (Min)- Reg.

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Asstt. Sub-Inspector (Min) is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/1/2016/Estt/RRs/A-5/ASI (Min) Dated: 28.11.2018

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 336.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**— पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि .**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .**— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **आरंभिक गठन .**— नियमित आधार पर इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) पद धारण करने वाले व्यक्ति को इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया माना जाएगा और उनके द्वारा उक्त नियमों के प्रवर्त्तन की तारीख से पूर्व—नियमित आधार पर उक्त पद पर की गयी सेवा को परिवीक्षा, ज्येष्ठता, पेंशनिक फायदे और अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि विनिश्चित करने के लिए गणना में लिया जायेगा।

6. **flािथिल करने की भाक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति .**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु—सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	12* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200—92300 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा –** केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी; जिन्होंने 1. सदृश्य पद धारण किया हुआ है, या 2. वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (25,500/–81,100/–रु.) में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले हेड कांस्टेबल (अनुसचिवीय)। **वांछनीय –** 1. कार्यालय प्रक्रियाओं तथा बुनियादी लेखा सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए। 2. संगठनात्मक एवं बहु– कार्य योग्यताएँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। 3. अंग्रेजी में अच्छी प्रवीणता और अच्छा टंकण कौशल होना चाहिए। **टिप्पण – 1** प्रतिनियुक्ति कि अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण –2** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी सरंचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

टिप्पण : ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे, फिर भी नियम 5, उस नियम में निर्दिष्ट पदधारी की सेवाओं को नियमित करने की दृष्टि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा और यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 को भूतलक्षी प्रभाव देने के द्वारा किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूलतः प्रभाव संभाव्य नहीं है।

[फा. सं. 23011/26/2018–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 16th October, 2018

G.S.R. 336.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Sub-Inspector (Ministerial) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Assistant Sub-Inspector (Ministerial) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix** -The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the above said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Initial Constitution.–** The person holding the post of Assistant Sub-Inspector (Ministerial) on the date of commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by him on the said post on regular basis before the commencement of these rules shall be taken into account for deciding the period of probation, seniority, pensionary benefits and eligibility for promotion to the next higher grade.

6. **Power to relax -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Sub Inspector (Ministerial)	12* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Civil Service, Group "C", Non – Gazetted , Ministerial	Level-5 in the pay matrix. (Rs. 29,200-92,300)	Not applicable

Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By deputation.– Officers from Central Arms Police Forces or Central Police Organisations: (i) Holding analogous post, or (ii) Head Constable (Ministerial) with five years' regular service in level-4 of pay matrix (Rs. 25,500-81,100). **Desirable.–** 1. Familiar with office procedures and basic accounting principles. 2. Very good organisational and multi-tasking abilities. 3. Possess good command over English and good typing skills. **Note-1.–** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not exceed three years. **Note-2.–** The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Not applicable	Not applicable.

Note : These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette, however, rule 5 shall come into force with retrospective effect with a view to regularise the services of the incumbent referred to in the said rule and it is certified that by giving retrospective effect to rule 5, the interest of no person is likely to be adversely affected.

[F. No. 23011/26/2018-PT]
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.